

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:-

विषय:- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के कार्यान्वयन हेतु SNA SPARSH माध्यम से A&OE मद में 'जल ही अमृत' के अंतर्गत 7STPs/UWTPs के लिए प्रोत्साहन की द्वितीय किस्त विमुक्त केन्द्रांश की राशि रु० 6.48 करोड़ (छः करोड़ अड़तालीस लाख रु०) का वित्तीय वर्ष 2026-2027 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी स्वीकृति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- K-16011/8/2024-AMRUT- दिनांक-11-05-2026 द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में SNA SPARSH माध्यम से A&OE मद में जल ही अमृत के अंतर्गत 7STPs/UWTPs के लिए प्रोत्साहन की द्वितीय किस्त विमुक्त केन्द्रांश की राशि रु० 6.48 करोड़ (छः करोड़ अड़तालीस लाख रु०) मात्र का सहायक अनुदान हेतु Mother Sanction निर्गत किया गया है। उक्त Mother Sanction के आलोक में कुल रु० 6.48 करोड़ (छः करोड़ अड़तालीस लाख रु०) मात्र की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. तदोपरांत आवश्यकतानुसार नगर निकायों/कार्यान्वयन एजेंसी को SNA SPARSH के माध्यम से Virtual Allotment/Limit राशि व्यय किया जायेगा। उक्त राशि का व्यय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक:- K-16011/8/2024-AMRUT- दिनांक-11-05-2026 के आलोक में की जायेगी।

3. योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार Department of Expenditure (PFMS Divison), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F. No. 1 (27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F. No. 1 (27)/PFMS/2020 दिनांक-08.07.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार के पत्र सं० e.gov/PFMS-05/2023-398 दिनांक-13.01.2025 के द्वारा RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS) के तहत Drawing Account खोले जाने की सूचना दी गयी है। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा बुडा, पटना के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:-

Sl No.	Account Number	Name Of Account	Purpose	Function Head
1	1585501167	BR274-AMRUT 2.0 (9956) A&OE	2nd Installment of incentive for 7 STPs/UWTPs under Jal Hi Amrit Initiative of AMRUT 2.0	36001061012401-31

4. स्वीकृत राशि रू० 6.48 करोड़ (छः करोड़ अड़तालीस लाख रू०) मात्र माँग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0209-शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT 2.0) (A&OE) विपत्र कोड-48-2217030510209 PFMS कोड-9556, विषय शीर्ष-31-06, से विकलनीय होगा।
5. केन्द्रांश/राज्यांश की राशि के व्यय के लिए भारत सरकार तथा वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अद्यतन दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग के पत्र संख्या- M.Gov/SNA-SPARSH-05/2025-469, दिनांक-14-01-2026 द्वारा RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि "Just-in-Time" पर आधारित SNA Sparsh पर प्रक्रिया के तहत राशि की निकासी के मामले में डी०सी० विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को नहीं है। यह व्यवस्था सिर्फ केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए है।
7. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०-7355 वि (2) दिनांक-05-10-07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के प०- Note#06/टि० पर दिनांक- 21.05.2026 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के प० Note#15/टि० पर दिनांक- 04.06.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-14/अमृत-01-12-2026 62 /न०वि०एवं आ०वि० 151-6126

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आस सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, बुडा/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आस सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/अवर सचिव, MoHUA, GOI, AMRUT Division/विभागीय आई०टी० प्रबंधक विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।